

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 19/2024

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, सिरौही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री देवाराम जाति माली निवासी मालियों का वास,
कैलाशनगर तहसील शिवगंज जिला सिरौही हाल प्रो. मारवाड केक एण्ड केफे
मैन बाजार सरजाव गेट, बिस्टिल प्लाजा, सिरौही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरौही ।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 10.01.2025



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2024 को श्री सहीराम, प्रवर्तन निरीक्षक सिरौही एवं सुश्री सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा द्वारा संयुक्त रूप से मारवाड केक एण्ड केफे मैन बाजार सरजाव गेट, बिस्टिल प्लाजा, सिरौही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं के द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरौही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 25.10.2024 को श्री सहीराम, प्रवर्तन निरीक्षक सिरौही एवं सुश्री सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा द्वारा संयुक्त रूप से मारवाड केक एण्ड केफे मैन बाजार सरजाव गेट, बिस्टिल प्लाजा, सिरौही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया, जिनका उपयोग दुकान पर नाश्ता बनाने (व्यावसायिक) का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकरण पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाइ एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु

म.स.
जिला कलक्टर, सिरौही

अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी के द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने मेरे घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ काम में लेने से कब्जे सरकार लिया गया है। परन्तु उक्त दिवस को मेरा घरेलू सिलेण्डर घर भरवाकर ले जाने के लिए दुकान पर रखा था, लेकिन व्यावसायिक सिलेण्डर खत्म होने से नौकरों ने उसे लगा दिया, जिसमें उनकी बदनियती नहीं थी। मेरे द्वारा नौकरों को उक्त सिलेण्डर को हटाने के लिए कहा था, परन्तु उसी वक्त प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच करने पहुंचने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त कर लिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण की कार्यवाही को ड्रॉप करना फरमावे।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाइ एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब में भी यह स्वीकार किया गया है कि वक्त निरीक्षण प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक सिलेण्डर खत्म होने से उनके द्वारा घर पर ले जाने हेतु गैस भरवाकर रखे हुए सिलेण्डर को काम में लिखा गया था। मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर जिस भट्टी से जुड़ा हुआ था, उस भट्टी पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्रार्थी द्वारा परिसर को नाश्ता इत्यादि बनाने के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि दुकान में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी भी बाद में प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि उक्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के स्वयं के थे। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते हैं परन्तु मारवाड कैंक एण्ड केफे मैन बाजार सरजाव गेट, विस्टिल प्लाजा, सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण नाश्ता बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाइ एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, सिरौही कब्जे सरकार लिए गए एक गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



(Handwritten signature)

(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही